

पटना में दिनांक-16 नवम्बर, 2018 शुक्रवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) 'विधिक मामलों में शक्तियों का प्रत्यायोजन' की कंडिका-3 के बाद एक नई कंडिका-4 सम्मिलित करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन बिहार विकास मिशन, पटना को राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित राशि 150.00 करोड़ (एक अरब पचास करोड़ रुपये) में से 85.00 करोड़ (पचासी करोड़ रुपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | बेगूसराय जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु अंचल-बरौनी, मौजा-असुरारी, थाना नं०-472 के विभिन्न खाता खेसरा (भूमि परिशिष्ट-1) में अवस्थित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण, बियाड़ा द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान कर करने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन/प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत ₹34,66,00,000 (चौतीस करोड़ छियासठ लाख रुपये मात्र) की स्कीम की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल-झंझारपुर के मौजा-झंझारपुर, थाना सं०-309 के विभिन्न खाता एवं विभिन्न खेसरा के कुल रकबा-20.32 एकड़, (भूमि विवरणी संलग्न- परिशिष्ट-1) अनुमंडल कार्यालय, झंझारपुर, मधुबनी हेतु अर्जित भूमि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

6. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) वर्ष 2018-19 अन्तर्गत 7981.000 लाख रुपये (उन्नासी करोड़ एककासी लाख) रुपये वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से कुल 2487.468 लाख रुपये (चौबीस करोड़ सतासी लाख छियालीस हजार आठ सौ) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूर्व अव्यवहृत अवशेष राशि से 5493.532 लाख (चौवन करोड़ तिरानवे लाख तिरेपन हजार दो सौ) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2487.468 लाख (चौबीस करोड़ सतासी लाख छियालीस हजार आठ सौ) रुपये, [मैडिंग राज्यांश 1270.389 लाख (बारह करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार नौ सौ) रुपये तथा अतिरिक्त राज्यांश 1217.079 लाख (बारह करोड़ सत्तरह लाख सात हजार नौ सौ) रुपये] के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

6. स्वीकृत।

कृषि विभाग

7. राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम मद से 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

7. स्वीकृत।